केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 215/टीएल/2024 दिनांक: 24.7.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके बाद "पारेषण योजना" के रूप में संदर्भित) पर "जेएसडब्ल्यू रीन्यू एनर्जी फाइव लि. के बीईएसएस के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी फतेहगढ़–III पीएस (सेक–1) पर 220 केवी लाइन बे के 1 नंबर का कार्यान्वयन" के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान की गई विद्यमान आरटीएम पारेषण अनुज्ञप्ति के संशोधन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। जिस विद्यमान आरटीएम पारेषण अनुज्ञप्ति को संशोधित किया जा रहा है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार है:

जेएसडब्ल्यू रीन्यू एनर्जी फाइव लि. के बीईएसएस के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी फतेहगढ़–III पीएस (सेक–1) पर 220 केवी लाइन बे के 1 नंबर का कार्यान्वयन

क्र सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	क्षमता/किमी	कार्यान्वयन की समय–सीमा
1.	जेएसडब्ल्यू रीन्यू एनर्जी फाइव लि. के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी फतेहगढ़–III पीएस (सेक–1) पर 220 केवी लाइन बे के 1 नंबर बीईएसएस परियोजना (संयोजकता एप नं. 0212100040–250 मेगावाट)	220 केवी लाइन बे – 1 नंबर	30.6.2025
	कुल अनुमानित लागत:		**रु.5.94 करोड़**

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 29.5.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 215/टीएल/2024 में दिनांक 24.7.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंधों एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **https://www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **6.8.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **8.8.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव